



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07102021-230218
CG-DL-E-07102021-230218

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3777]
No. 3777]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 7, 2021/आश्विन 15, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 7, 2021/ASVINA 15, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अक्तूबर, 2021

का.आ. 4111(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइंस (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) (जिसे इससे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 2529 (अ.) तारीख 18, जून 2021, भारत के राजपत्र में तारीख 25 जून 2021 को प्रकाशित की गई थी। इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उत्तर प्रदेश राज्य में कांडला – गोरखपुर एल.पी.जी. पाइपलाइन परियोजना हेतु तहसील – हसनगंज, जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश राज्य में एल.पी.जी. गैस के परिवहन हेतु आई.एच.बी. प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आषय की घोषणा की थी, और उक्त राजपत्र अधिसूचना की सूचना संबंधित भू-स्वामियों को तारीख 22.07.2021 तक उपलब्ध करा दी गई थी और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है और केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन करने का विनिष्पन्न किया है।

अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए, और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आई0एच0बी0 प्राइवेट लिमिटेड में निहित होगी।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए आई.एच.बी. प्राइवेट लिमिटेड उत्तरदायी होगा और पाइपलाइन से सम्बंधित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

जिला : उन्नाव		राज्य : उत्तर प्रदेश			
तहसील	गाँव	सर्वे नं	क्षेत्रफल		
			हेक्टेअर-आर-वर्ग मीटर		
1	2	3	4	5	6
हसनगंज	अजगैन खास	614	00	00	20
		615	00	00	26
		616	00	09	44
		727	00	01	89
		728	00	03	83
		730	00	00	54
		732	00	03	67
		731	00	09	20
		735	00	00	61
		737	00	02	47
		738	00	01	81
		746	00	03	05
		744	00	03	03
		747	00	01	27
		748	00	10	02
		790	00	00	20
		792	00	00	58
		791	00	00	76
		789	00	09	54
		788	00	03	30
		787	00	00	33
		785	00	06	49
		841	00	00	47
		832	00	04	92
		835	00	01	61
		834	00	02	13
		833	00	02	76
		836	00	00	20
		836 / 1109	00	04	36
		844	00	00	88
		859	00	00	24
		852	00	08	18
		853	00	02	54
		854	00	03	57

		850	00	07	25
		940	00	00	64
		941	00	09	22
		944	00	00	20
		942	00	00	86
		943	00	03	22
		945	00	00	37
		946	00	00	86
हसनगंज	मखदूमपुर	996	00	02	24
		991	00	03	92
		989	00	02	46
		988	00	02	31
		987	00	00	85
		986	00	02	53
		979	00	00	84
		978	00	01	39
		3	00	21	85
		1	00	00	75
		4	00	01	05
		5	00	01	74

[फा. सं. आर-11025(15)/6/2020-ओआर-I/ई-33882]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th October, 2021

S.O. 4111(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 2529 (E)) dated the 18, June, 2021, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Gazette of India dated the 25, June, 2021 the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying Kandla - Gorakhpur LPG pipeline for the transportation of LPG from Kandla in the state of Gujarat to Gorakhpur in the state of Uttar Pradesh - Tehsil :- Hasanganj, District-Unnao in the state of Uttar Pradesh by IHB Pvt. Ltd.

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the concerned land owner by 22, July, 2021.

And whereas Competent Authority IHB Pvt. Ltd., has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in IHB Pvt. Ltd., free from all encumbrances.

I.H. B. Pvt. Ltd. shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P & MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

District : Unnao		State : Uttar Pradesh			
Tehsil	Village	Survey No.	Area		
			Hect.-Are -Sq. mtr.		
1	2	3	4	5	6
Hasanganj	Ajgain Khas	614	00	00	20
		615	00	00	26
		616	00	09	44
		727	00	01	89
		728	00	03	83
		730	00	00	54
		732	00	03	67
		731	00	09	20
		735	00	00	61
		737	00	02	47
		738	00	01	81
		746	00	03	05
		744	00	03	03
		747	00	01	27
		748	00	10	02
		790	00	00	20
		792	00	00	58
		791	00	00	76
		789	00	09	54
		788	00	03	30
		787	00	00	33
		785	00	06	49
		841	00	00	47
		832	00	04	92
		835	00	01	61
		834	00	02	13
		833	00	02	76

		836	00	00	20
		836/1109	00	04	36
		844	00	00	88
		859	00	00	24
		852	00	08	18
		853	00	02	54
		854	00	03	57
		850	00	07	25
		940	00	00	64
		941	00	09	22
		944	00	00	20
		942	00	00	86
		943	00	03	22
		945	00	00	37
		946	00	00	86
Hasanganj	Makhdumpur	996	00	02	24
		991	00	03	92
		989	00	02	46
		988	00	02	31
		987	00	00	85
		986	00	02	53
		979	00	00	84
		978	00	01	39
		3	00	21	85
		1	00	00	75
		4	00	01	05
		5	00	01	74

[F. No. R-11025(15)/6/2020-OR-I/E-33882]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.